

16-01-18

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0

आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा

उप0।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

आज दिनांक को फरियादी शखावत खां उपस्थित फरियादी की पहचान अधि0 श्री संजय राठोर द्वारा की गई।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपीगण पर भा0द0स0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं आरोपीगण पर आरोपित अपराध न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी शखावत खां ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप हैं। अतः बाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राजीनामे के आधार पर आरोपी चिम्मन, रवि एवं बरकत खां को भा0द0स0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी चिम्मन, रवि एवं बरकत खां पूर्व से जमानत पर है अतः आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार भेजा जावे।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी, गोहद